राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांकः--प. 2(5)कार्मिक/क-2/अं.प्र./89 पार्ट जयपुर, दिनांक :

10 JAN 2022

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः-स्टेनो कैडर के पदों पर कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापित अन्य कैडर के कार्मिकों के स्थान पर स्टेनो कैडर के ही कार्मिकों को लगाये जाने के संबंध में।

कार्य व्यवस्था आधार (पातेय वेतन) पर उच्च पद पर किसी भी कर्मचारी को पदस्थापित नहीं किये जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.06.1991, 15.02.2003, 19.04.2008, 22.09.2014 एवं 26.11.2021 द्वारा निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं । किन्तु स्टेनो संवर्ग के कर्मचारी संगठनों द्वारा कार्मिक विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अधीनस्थ विभागों में स्टेनो संवर्ग के कार्मिकों की उपलब्धता के बावजूद स्टेनो संवर्ग के पदों के विरूद्ध अन्य संवर्ग के कार्मिकों तथा संविदा कर्मियों को पदस्थापित किया हुआ है/जा रहा है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/नियुक्ति प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों को पुनः स्मरण कराया जाता है कि वे किसी भी स्थिति में किसी भी संवर्ग के अन्तर्गत कार्य व्यवस्था के आधार पर पदस्थापन नियुक्तियां नहीं करें । क्योंकि संबंधित संवर्ग के कार्मिकों की उपलब्धता होते हुए अन्य संवर्ग के कार्मिकों को पदस्थापित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। यदि किसी विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों में स्टेनो संवर्ग के कार्मिकों की उपलब्धता होने के बावजूद अन्य सवंर्ग के कार्मिकों को पदस्थापित किया हुआ है, तो उन्हें उनके मूल विभाग/पद पर लगाते हुए इन पदों पर स्टेनो संवर्ग के ही कार्मिकों का पदस्थापन किये जाने की कार्यवाही करावें।

इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाए।

07/01/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

3/2022